

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला
चितौड़गढ़(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राशमी

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 3तमपुय व सोपलपुय
व भू.अ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी/नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 3तमपुय तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या गिफ्तार में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	3तमपुय	137	मधुसूदन कपडा	मधुसूदन कपडा
2.	सोपलपुय	104 105	अमल देवी व सुषमा	विष्णु देवी शर्मा पुत्र माता कमला देवी
3.	आरणी	1076 1077 1078 1079		

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

क्रमांक:- 352/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/2021

1. तहसीलदार राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री मधुसूदन कपडा विष्णु देवी शर्मा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

